

दिनांक 5 अक्टूबर, 1988.

**विषय:-** बिहार राज्य योजना आयोग को विलोपित करते हुए बिहार राज्य योजना पर्षद को पुनर्जिवित किया जाना।

बिहार राज्य के योजनाबद्ध विकास हेतु बिहार राज्य योजना पर्षद का गठन 1972 में किया गया था। पर्षद के कार्यकलापों की विस्तृत समीक्षा के उपरान्त राज्य सरकार ने योजना एवं विकास विभाग के संकल्प छापांक 2635 दिनांक 28-9-81 द्वारा राज्य योजना पर्षद का पुनर्गठन करते हुए उसके उद्देश्य तथा कृत्य एवं कर्त्तव्यों में संशोधन किया था। बाद में योजना एवं विकास विभाग के संकल्प छापांक 279 दिनांक 6/3/87 द्वारा पूर्व संकल्पों को अवक्रमित करते हुए राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था।

2- राज्य योजना आयोग के कृत्य एवं कर्त्तव्यों की पुनः समीक्षा एवं समुचित विचार के उपरान्त राज्य सरकार ने योजना एवं विकास विभाग के संकल्प छापांक 279 दिनांक 6/3/87 को तत्कालिक प्रभाव से विलोपित करते हुए पूर्व में राज्य योजना पर्षद के सम्बन्ध में निर्गत संकल्प छापांक 2635 दिनांक 28/9/81 प्रतिलिपि संलग्न० को यथास्थिति पुनर्जिवित करने का निर्णय लिया है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, राँची एवं पटना/योजना आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली/आयोग के सभी सदस्यों/पर्षद के सभी सदस्यों/राज्य सरकार के सभी विभागों एवं विभागाधीक्षों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
₹०/- रु०० के० सिन्हा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

छापांक -3489 / यो०वि०, पटना, दिनांक 5 अक्टूबर, 1988.

**प्रतिलिपि-** संकल्प छापांक 2635 दिनांक 28/9/81 की प्रतिलिपि के साथा अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2- उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 250 प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

₹०/- रु०० के० सिन्हा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3489 / यो०वि०, पटना, दिनांक 5 अक्टूबर, 1988.

प्रतिलिपि- संकल्प ज्ञापांक 2635 दिनांक 28/9/81 की प्रतिलिपि के साथा महालेखाकार, बिहार, पटना एवं रौची/योजना आयोग, भारत सरकार, पार्लिया स्ट्रीट, नई दिल्ली/आयोग के सभी सदस्यों/पर्षद के सभी सदस्यों/राज्य सरकार के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

₹०/- रु० के० सिन्हा,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 3489 / यो०वि०, पटना, दिनांक 5 अक्टूबर, 1988

प्रतिलिपि- संकल्प ज्ञापांक 2635 दिनांक 28/9/81 की प्रतिलिपि के साथ योजना एवं विकास विभाग तथा राज्य योजना पर्षद के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों/कोषागार पदाधिकारी, पटना सचिवालय कोषागार को तूचना एवं समुचित कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

₹०/- रु० के० सिन्हा,  
सरकार के संयुक्त सचिव